न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—292/2016/223 (2016/00292)

1. जगन्नाथ पुत्र हजारी, जाति कुम्हार,
2. तेजाराम पुत्र हजारी, जाति कुम्हार,
3. रूघा पुत्र हजारी, जाति कुम्हार,
4. रतना पुत्र हजारी, जाति कुम्हार,

समस्त निवासीगण ग्राम गोयला, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हरदेव पुत्र बख्तावर, जाति कुम्हार (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती ग्यारसी पत्नि स्व0 हरदेव, जाति कुम्हार,
   1/2— सोनी पुत्र स्व0 हरदेव, जाति कुम्हार,
   1/3— कजोड़ पुत्र स्व0 हरदेव, जाति कुम्हार,
   1/4— लाली पुत्री स्व0 हरदेव, जाति कुम्हार,
   1/5— चनता पुत्री स्व0 हरदेव, जाति कुम्हार,
   1/6— श्रीमती जीवणी पत्नि रघुनाथ पुत्री स्व0 हरदेव, जाति कुम्हार,
   1/7— महावीर पुत्र हरदेव, जाति कुम्हार,
   समस्त निवासी ग्राम बगराई (गुड्डाखुर्द), उप—तह0 देवलियाकंला, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
2. हुकमा पुत्र बख्तावर, जाति कुम्हार,
3. सूरज पुत्र बख्तावर, जाति कुम्हार (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— श्रीमती बरजी पत्नि स्व0 सूरजमल, जाति कुम्हार,
   3/2— महावरी दत्तक पुत्र स्व0 सूरजमल, जाति कुम्हार,
   समस्त निवासी ग्राम गोयला, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकार, सरवाड़, दिनांक 16.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 34/2013.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस।
2. श्री समीर अहमद खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/7 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 3/1 व 3/2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 2.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0

के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 2368 रकबा 3–6–00 किस्म चाही–1 ग्राम गोयला, तहसील सरवाड़ में स्थित भूमि वादीगण/अपीलांटस की खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल करने व जबरन नवीन धोरा, मोरी, पाईप लाईन बिछाने पर एवं नवीन रास्ता निकालने पर आमादा है कि जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांटस की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से दखल व्यवधान करने का, नवीन धोरा, पाईप लाईन आदि बिछाने का एवं रास्ता आदि का कोई अधिकार ही नहीं है परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादपत्र में न तो विवाद बिन्दु ही कायम किये एवं न ही वादीगण को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया गया ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा राजस्व कैम्प के समक्ष अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद में जवाबदावा प्राप्त होने के उपरांत विवाद बिन्दु कायम किये जाकर, वादीगण को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर ही विवाद बिन्दु का निर्णय किया जाना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने आदेश 14 नियम 20 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 सूरजमल का स्वर्गवापस अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2013 के पूर्व हो चुका था तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने का भी कोई अवसर नहीं दिया । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2016 निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 अपनी खातेदारी की आराजी में वर्षो से बने हुए धोरे से पूर्व की भांति अपनी आराजी में सिचांई करते चले आ रहे है । वादवर्णित आराजियात के समीप रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 2352, 2351 स्थित है तथा रेस्पो0 अपनी आराजियात की सिंचाई चाह नंबर 2371 व 2360 से वर्षो से करते चले आ रहे है । अपीलांटस ने रास्ते बाबत् भी अनुतोष चाहा है जबकि रास्ते बाबत् वाद न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद खारिज किया है जिसमें किसी

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद प्रस्तुत होने के उपरांत प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र के कथनों से इंकार किया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में कुल 5 तनकियात कायम की है किन्तु अधी0न्याया0 ने निर्णय तनकीवार न कर सरसरी तौर पर लोक अदालत, सरवाड़ में किया है । जब अधी0न्याया0 द्वारा वाद में तनकियात कायम की जा चुकी थी तो अधी0न्याया0 को उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 3 सूरजमल का स्वर्गवास हो गया था किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही बाबत् अपीलांटस/वादीगण को अवसर प्रदान किये बिना अधी0न्याया0 ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किये जाने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 का प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 16.6.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वाद में प्रतिवादी संख्या 3 सूरजमल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 2.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर